Ashok KV yojna

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
भू-तल, ब्लॉक-6, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

SWSHE

फोन नं: 0141-2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स न: 0141-2708487

Email 29/1/2018

313 29.1.19

F.5 (3) (121)/RCSCE/SWSHE/SHP-2014/ 5315 दिनांकः 29/01/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान,
जिला-समस्त

विषयः- दिनॉक 30/01/19 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम अर्न्तगत एनिमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के शुभारम्भ के क्रम में ।

संदर्भः 1. विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.व. मिशन निदेशक एन.एच.एम का प्रंत्राक एफ .7 () एन.एच.एम /सी.ए./ 2019/89 दिनांक 23 /01/ 2019
2 निदेशक (आर.सी.एच.) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क राजस्थान जयपुर के एनिमिया मुक्त राजस्थान हेतु दिशा-निर्देश दिनांक 25 /01/ 2019 (संलग्न)

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम अर्न्तगत राज्य में दिनॉक 30जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा 'एनिमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम' का शुभारम्भ किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयो में निम्नांकित कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय कर प्रत्येक विद्यालय में आयरन फोलिक ऐसिड की गुलाबी एवं नीली गोलियो का वितरण व विद्यार्थियो द्वारा उपयोग सुनिश्चित किया जाए । तदुपरान्त प्रति सप्ताह सभी छात्र-छात्राओ को दी जाए।
2. दिनॉक 30/1/19 को प्रातः 11 बजे 'जीवन के लिए प्रतिज्ञा' का आयोजन किया जाए (प्रतिज्ञा-संलग्न) तथा विद्यार्थियो को नशा मुक्ति के लिए सेन्सिटाइज किया जाए ।
3. विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित किया जाए ।

कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या से दिनॉक 30/01/19 को साय ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया जाए ।

संलग्नः- 1. कार्यक्रम दिशा निर्देश
2. जीवन के लिए प्रतिज्ञा
3.तम्बाकू मुक्त परिसर घोषणा बोर्ड का प्रारूप

29/1/19
(रामनिवास जाट)
अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

www.rajteachers.com

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2.निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
3.निजी सचिव, मिशन निदेशक एन.एच.एम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान
4.निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
5.अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिला
6.रक्षित पत्रावली

(रिछपाल सिंह)
अधीक्षण अभियंता

कार्यालय- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, बारां
क्रमांक :- 2323 दिनांक 29.1.19
समस्त CBEO, बारां जिला
निवेदन
मूल पत्र की भेजकर लेख है कि पत्र की पालना सुनिश्चित करें।

D:\LETTER\Letter 2018\General Hindi Letter 2018.Doc

अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, बारां

तम्बाकू मुक्त परिसर

इस परिसर में किसी भी रूप में तम्बाकू का उपभोग निषेध है एवं दण्डनीय अपराध है, इसके उल्लंघन पर रूपये 200 तक का जुर्माना किया जा सकता है।

तम्बाकू छोडने के लिए 1800112356 पर कॉल करें

अथवा 01122901701 पर मिस्ड कॉल करें

TOBACCO FREE ZONE

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

"जीवन के लिये प्रतिज्ञा"
(Pledge for Life)

मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप मे शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं जीवन मे कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थो का सेवन नही करूंगा/करूंगी। मैं अपने परिजनो, मित्रों एवं परिचितो को भी तम्बाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थो को सेवन नही करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी।

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7( ) एन.एच.एम/सी.एच/एएमआर/2019/ ९२ दिनांकः 25.1.19

एनीमिया मुक्त राजस्थान हेतु दिशानिर्देश

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में दिनांक 29 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्न दिशा निर्देशो को ध्यान मे रखते हुए कार्यवाही कर कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रम करवावें।

एनीमिया मुक्त राजस्थान की रणनीति में निम्नलिखित छः नवाचार (Interventions) को शामिल किया गया है–

1. रोगनिरोधी आयरन फॉलिक एसिड संपूरण (Prophylactic Iron and Folic Acid supplementation)
2. कृमि–नियंत्रण (Deworming)
3. मुख्य व्यवहारों जैसे–

   (क) आयरन फॉलिक एसिड संपूरण और कृमि नियंत्रण के प्रति वचनवद्धता (Commitment).

   (ख) नवजात एवं शिशु को समुचित आहार देने का अभ्यास,

   (ग) स्थानीय रूप से संसाधनों का उपयोग बढाते हुए खाद्य विविधता/मात्रा/आवृति और आयरन, प्रोटीन और विटामिन–सी की अधिकता वाले आहारों के प्रयोग को वढ़ावा देना

   (घ) स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव के बाद देर से (3 मिनट बाद) जन्म–नाल को काटना सुनिश्चित करना जैसे व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष–पर्यन्त सघन व्यवहार बदलाव (SBCC) अभियान आयोजित करना।
4. गर्भवती महिलाओं और विद्यालय जा रहे किशोर/किशोरी पर विशेष ध्यान देते हुए, डिजिटल विधियों का प्रयोग करते हुए एनीमिया की जांच और देखभाल के साथ ही उपचार करना (Test, Treat and Talk)।
5. सरकार द्वारा वित्तपोषित लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन सवंर्द्धित (Fortified) खाद्य प्रदार्थो का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का प्रावधान करना।
6. इंडेमिक क्षेत्रों में मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए, एनीमिया के गैर पोषण कारकों (Non-nutritional causes of anemia) पर नियंत्रण करना।

एनीमिया मुक्त राजस्थान के लाभार्थी–

क्र.स.	लाभार्थी	खुराक	
1.	वच्चे (6 से 59 माह)	सप्ताह मे दो वार सोमवार व गुरूवार	1 एम.एल आयरन सिरप
2.	किशोर (10 से 19 वर्ष)	साप्ताहिक	आई.एफ.ए की एक नीली गोली
3.	किशोरी (10 से 19 वर्ष)	साप्ताहिक	आई.एफ.ए की एक नीली गोली
4.	प्रजनन उम्र की महिलाऐं (20 से 24 वर्ष)	साप्ताहिक	आई.एफ.ए की एक नीली गोली
5.	गर्भवती महिलाऐं	कम से कम 180 दिन (गर्भावस्था के चौथे माह के पश्चात)	आई.एफ.ए की एक लाल गोली
6.	वच्चों को स्तनपान कराती माता (धात्री माताएं)	कम से कम 180 दिन	आई.एफ.ए की एक लाल गोली

www.rajteachers.com
Scanned with CamScanner

एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम में विभागों की भूमिका (Role and Responsibilities)

1-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दायित्व :–

- कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु एनीमिया मुक्त राजस्थान की गाइडलाइन उपलब्ध करवाना एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- राज्य स्तर पर WIFS/NDD की स्टियरिंग समिति में ही राष्ट्रीय एनीमिया मुक्त राजस्थान की वर्ष में दो बार समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अध्यक्ष की सहमति से अन्य विभागों जैसेः– शिक्षा विभाग, समेकित महिला एंव बाल विकास विभाग, जनजाति कल्याण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और मानव संसाधन विकास विभाग को भी आमंत्रित किया जाएगा।
- कार्यक्रम की क्रियान्वति में सहयोग प्रदान करने और जॉच निगरानी हेतु एक राज्य यूनिट का गठन किया जाएगा, जो निदेशक (आरसीएच) महोदय के नेतृत्व में कार्य करेगी तथा यूनिट के नोडल अधिकारी परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य रहेगे।
- जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड स्तर पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होगें।
- मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में पोषण अभियान के तहत अन्तर विभागीय समन्वय हेतु राज्य अभिसरण समिति (State convergence committee) का गठन किया गया है। अतः एनीमिया मुक्त भारत से संबंधित वे सभी मुद्दे जिनके लिए अंतर–विभागीय समन्वय की आवश्यकता है, इस बैठक के दौरान उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। यह समिति प्रत्येक तीन माह पर 'पोषण अभियान' के क्रियान्वयन संबंधित चर्चा के लिए बैठक करेगी।
- जिला स्तर पर भी पोषण अभियान के जिला स्तरीय कार्यकारी समिति को भी एनीमिया मुक्त राजस्थान रणनीति से संबंधित समन्वय मुद्दों पर चर्चा के लिए उपयोग किया जायेगा।
- आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये राज्य स्तर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी लाभार्थियों के लिए आई.एफ.ए संपूरण (Supplementation) एवं अल्बेंडाजोल टेबलेट की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन किया जाएगा तथा जिलों से प्राप्त वार्षिक मांग के अनुसार आईएफए की आपूर्ति वर्ष में चार बार एवं अल्बेंडाजोल की वार्षिक आपूर्ति एक बार जिला स्तर तक करना सुनिश्चित करवाना।
- जिला स्तर पर विभाग द्वारा समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग व शिक्षा विभाग से प्राप्त मांग (Demand) अनुसार जिला औषधि भंडार गृह से आई.एफ.ए, अल्बेंडाजोल, आई.ई.सी, फार्म एवं रजिस्टर की दो वर्षो में एक बार शिक्षा विभाग हेतु पीईईओ स्तर से सभी विद्यालयों तक व महिला बाल विकास विभाग हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से सभी आंगनबाड़ीयों तक आपूर्ति समय से की जानी सुनिश्चित की जायेगी तथा इसकी मॉनिटिरिंग कर दवाइयों के वितरण में आने वाली समस्याओं का समाधान तथा दवाई की कमी को समय से पूरा किया जाना।
- एनीमिया मुक्त भारत के डेश बोर्ड पर विभागों से प्राप्त सूचना का संधारण करवाना व समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन कर प्राप्त नतीजो को सुधारने का उचित प्रयास करना व सहयोगी विभागों से समन्वय स्थापित करना।
- विभाग द्वारा समुदाय, मीडिया, विद्यालय के शिक्षकों व प्रशासन, धार्मिक गुरूजनों, पदाधिकारीयों, पंचायत नेताओं, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनडी) आदि को संवेदनशील बनाने के लिए व्यवहार बदलाव हेतु निम्न विषयों पर व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियाँ तैयार की गई हैं।

www.rajteachers.com

Scanned with CamScanner

1. आयरन फॉलिक संपूरण और कृमि नियत्रण का अनुपालन
2. पर्याप्त रूप से नवजात एवं छोटे शिशुओं के खानपान अभ्यास (आईवाईसीएफ) के साथ–साथ 6 माह और ऊपर के बच्चों को पूरक आहार देने पर ध्यान देना।
3. खाद्य विविधता/मात्रा/आवृति और खाद्य सवर्द्धन को बढावा देते हुए आयरन, विटामिन सी एवं प्रोटीन अधिकता वाले भोजन के उपयोग को बढ़ावा देना।,
4. सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव उपरान्त देर से जन्म–नाल काटना (जन्म के 3 मिनट बाद जब तक कि नाल में रक्त–संचार स्थिर न हो जाए) और जन्म के एक धण्टे के अन्दर शीघ्र स्तनपान को प्रारंभ कराना।

- विभाग द्वारा गर्भवती में एनीमिया की जांच के लिए प्रसवपूर्व देखभाल सूविधा केन्द्रों पर एएनएम व किशोर/किशोरियों में एनीमिया की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)के भ्रमणशील टीम द्वारा नॉन–इनवैसिव डिजिटल हीमोग्लोबिनमीटर द्वारा हीमोग्लोबिन के स्तर की जाँच की जाएगी तथा एनीमिया के स्तर के अनुसार उनको सलाह व उपचार दिया जायेगा (**Test, Treat and Talk camps**)।
- मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ एंडेमिक जिलों/खण्डों में विशेष प्रयास किए जाने हैं सभी मलेरिया के मरीजों की एनीमिया सम्बन्धी जाँच जिसमें गर्भवती व बच्चों की प्राथमिकता से जांच की जानी है तथा विभाग द्वारा एनीमिया के गैर–पोषण संबंधी कारणों के बारे में जागरूकता व व्यवहार परिवर्तन हेतु विशेष गतिविधियाँ बार बार की जानी सुनिश्चित करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य स्तर, सम्भाग स्तर, जिला स्तर व खंड स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों का प्रबंध करना ।
- आई.एफ.ए सिरप का उचितरूप से भंडारित करवाना
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 से 59 माह के बच्चों को आशा कार्यकर्ता/ आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा गृह–भ्रमण के पहले सप्ताह के दौरान अपने पर्यवेक्षण में आईएफए सिरप की 1 एमएल दवा (सप्ताह में दो बार सोमवार व गुरुवार) को प्रदान करेगी। इसके साथ ही वे, माता/संरक्षक को ऑटो–डिस्पेसर बोतल के माध्यम से आईएफए सिरप सप्ताह में दो बार दिये जाने की विधि भी सिखायेगी। आशा सहयोगिनी इसकी मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर ए.एन.एम को सेक्टर बैठक में देंगी तथा ए.एन.एम द्वारा इस रिपोर्ट को पी.सी.टी.एस सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करवाया जायेगा।
- विभाग द्वारा कार्यशील मिशन परिवार विकास मंच' के माध्यम से 20 से 24 वर्ष आयु की प्रजनन उम्र की विवाहित महिलाऐं (जो गर्भवती न हो तथा अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही हों) को सप्ताह में एक आई.एफ.ए गोली दी जायेगी।
- समस्त गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को (गर्भावस्था के चतुर्थ माह से (द्वितीय तिमाही) गर्भधारण के 14वें सप्ताह से पूरे गर्भावस्था के दौरान) रोजाना एक आई.एफ.ए. की गोली कम से कम 180 दिन एवं प्रसव के उपरान्त एक आई.एफ.ए. की गोली 180 दिन तक दी जायेगी एवं इसकी रिपोर्ट को ए.एन.एम द्वारा पी.सी.टी.एस. सॉफ्वेयर मे इन्द्राज करवाया जायेगा।
- कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों के साथ संयुक्त विजिट माह में एक बार सभी स्तर (विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, एम.सी.एच.एन., PMSA) पर की जाएगी तथा विभागीय मोनिटरिंग निरन्तर जारी रहेगी।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनीमिया की रोकथाम हेतू विशेष प्रयासों में से एक आयरन युक्त फॉर्टीफाईड खाद्य पदार्थो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य में वितरित किये जाने हेतु प्रारम्भ करना तथा मिड डे मील व आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले भोज्य पदार्थों में FSSAI के नियमो अनुसार आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किये जाने का भी प्रयास करेगा तथा इसके लागू हो जाने के पश्चात् समय समय पर इनकी निगरानी भी की जानी है।

www.rajteachers.com

Scanned with CamScanner

2. समेकित बाल विकास सेवाऐं के दायित्व :–

- राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार सोमवार एवं गुरूवार को आई.एफ.ए सिरप की दवा आशा सहयोगिनी की निगरानी में दिया जाना सुनिश्चित करवावें।
- राज्य में 10 से 19 वर्ष की किशोरियां जो स्कूल नही जाती है उनको आशा सहयोगिनी द्वारा आंगनवाड़ी पर मोबिलाईज कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए की नीली गोली कार्यकर्ता के निगरानी में खिलाना सुनिश्चित करवावें।
- दवाईयों की सप्लाई खत्म होने से 3 माह पहले ही आगामी मांग हेतु मांग पत्र चिकित्सा विभाग को भिजवा कर दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवावें।
- आई.एफ.ए एवं एलबेन्डाजॉल की गोली राज्य के समस्त आंगनवाडी में प्रर्याप्त मात्रा में भण्डारित करवाना।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वितों की रिपोर्ट ऑनलाईन पॉर्टल पर अपडेट हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा मासिक रिपोर्ट आशा सहयोगिनी को समय से उपलब्ध करवावें।

3. शिक्षा विभाग के दायित्व :–

- आई.एफ.ए की नीली, गुलाबी, एलबेन्डाजॉल की गोलियों व आई.इ.सी सामग्री का अनुमान लगाकर मांग अनुरोध पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को समय से उपलब्ध करवाना।
- आई.एफ.ए एवं अल्बेंडाजोल को विद्यालयों में उचितरूप से भंडारित करवाना
- दवाइयों की सप्लाई खत्म होने से तीन माह पहले ही आगामी माह हेतु मांग पत्र चिकित्सा विभाग को भिजवाकर दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे
- विद्यालयों में आई.इ.सी सामग्री उपलब्ध करवाना व उचित रूप से प्रदर्शित करना।
- अध्यापकों के प्रशिक्षण का चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रबंध करना।
- कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के समस्त बालक व बालिकाओं को मिड डे मील के पश्चात् साप्ताहिक एक गुलाबी गोली व कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के समस्त बालक बालिकाओं को साप्ताहिक नीली गोली का उपभोग शिक्षक की निगरानी में सुनिश्चित करवाना।
- वर्ष में एक बार कक्षा 1 से कक्षा 5 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को व कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के समस्त बालक बालिकाओं को शिक्षक की निगरानी में एलबेन्डाजॉल की गोली खिलाई जायेगी।
- एनीमिया की रोकथाम हेतू विशेष प्रयासों में से एक आयरन युक्त फॉर्टीफाईड खाद्य पदार्थों को मिड डे मील में वितरित किये जाने वाले भोज्य पदार्थों में FSSAI के नियमो अनुसार आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करेगा तथा इसके लागू हो जाने के पश्चात् समय–समय पर इनकी निगरानी भी करना।
- गोलियों के उपभोग की रिपोर्ट समय से ऑनलाइन पोर्टल (शालादर्पण व शालादर्शन) पर डलवाना।
- विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान आई.ई.सी गतिविधियों का आयोजन, बच्चों में उचित स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु मीना मंच का प्रयोग करना व जागरूकता बढ़ाना।
- कार्यक्रम की समीक्षा हेतु की जाने वाली समस्त बैठकों में भाग लेना।
- कार्यक्रम की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु माह में चिकित्सा विभाग के साथ संयुक्त मॉनिटरिंग की योजना बनाना व इस योजना को लागू करना। विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मिड डे मील की निगरानी के साथ साथ इस कार्यक्रम को भी अपनी मोनिटरिंग में प्राथमिकता दी जाएगी।

www.rajteachers.com

निदेशक (आरसीएच)
चिकित्सा स्वास्थ्य एंव प.क.
राजस्थान जयपुर

Scanned with CamScanner

क्रमांकः एफ.7( ) एन.एच.एम/सी.एच/एएमआर/2019/92 दिनांकः 25.1.19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. व मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम मुख्यालय।
9. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच।
10. अतिरिक्त निदेशक, आरसीएच।
11. परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य मुख्यालय।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
13. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
14. अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) समस्त जिलें।
15. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिलें।
16. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिलें।
17. सर्वर रुम को ई–मेल हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

for परियोजना निदेशक
शिशु स्वास्थ्य

www.rajteachers.com

Scanned with CamScanner